

कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने व संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में 26 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई।


2. सहर्ष अवगत कराना है कि इस वर्ष राजभाषा विभाग की स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा 26 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह" का आयोजन किया जाना है। इसी उपलक्ष्य में एक अन्य सम्मेलन 10 जुलाई, 2025 को, जीएमसी बालयोगी इनडोर स्टेडियम, हैदराबाद में भी आयोजित किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी होंगे।

3. अतः केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/सम्बद्ध कार्यालयों/नराकास (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव) आदि से अपेक्षा है कि वे इस सम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में प्रतिभागी भेजकर आयोजन को सफल बनाएं।

4. इन सम्मेलनों में प्रतिभागियों के टी.ए./डी.ए. का वहन संबंधित मंत्रालय/कार्यालय/संगठन द्वारा सरकारी नियमानुसार किया जाएगा। प्रतिभागियों को अपने ठहरने की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।

5. उक्त दोनों सम्मेलनों में राजभाषा से जुड़े सभी कार्मिकों और राजभाषा का काम देख रहे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।

6. सम्मेलनों में प्रतिभागिता हेतु अपना पंजीकरण (निःशुल्क) राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर दिल्ली सम्मेलन हेतु दिए गए लिंक <https://164.100.54.224/olgj/> तथा हैदराबाद सम्मेलन के लिए <https://164.100.54.224/olhyd/> पर करना आवश्यक है।


(अनिल कुमार)

उप सचिव(कार्यान्वयन)
फोन: 011-23438129

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/बैंक/उपक्रम/नराकास/अधीनस्थ कार्यालय/ सम्बद्ध कार्यालय/स्वायत्त संस्थान/संवैधानिक निकाय आदि।